

Papers Laid on the Table of the House by Ministers/Members

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) संशोधन नियम, 2023 जो 28 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 562(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 9946/17/23]

- (2) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन की अंतिम परीक्षा) नियम, 2023 जो 19 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 9947/17/23]

- (3) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 555(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 9948/17/23]

- (4) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा नियम, 2023 जो 26 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 9949/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन

प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2423(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 9950/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ. 2409(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 329(अ) का अतिलंघन किया गया है ।
- (2) का.आ. 2410(अ) जो 2 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील नानपारा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन कोड-271881 में स्थित रुपैडीहा भूमि पत्तन को "एकीकृत जांच चौकी" के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (3) का.आ. 2695(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील करीमगंज, जिला करीमगंज, असम, भारत, पिन कोड-788712 में स्थित सुत्तारकांडी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (4) का.आ. 2696(अ) और 2697(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तहसील सबरूम, जिला दक्षिण त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड-799145 में स्थित सबरूम भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (5) का.आ. 2698(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील रक्सौल, जिला पूर्वी चम्पारण, बिहार, भारत, पिन कोड-845305 में स्थित रक्सौल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

- (6) का.आ. 2699(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील पेट्रापोल, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल, भारत, पिन कोड- 743405 में स्थित पेट्रापोल भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (7) का.आ. 2700(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील फारबिसगंज, जिला अररिया, बिहार, भारत, पिन कोड- 854238 में स्थित जोगबनी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (8) का.आ. 2701(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील मोरेह, जिला तेंगानौपाल, मणिपुर, भारत, पिन कोड- 795131 में स्थित मोरेह भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (9) का.आ. 2702(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील डेरा बाबा नानक, जिला गुरदासपुर, पंजाब, भारत, पिन कोड- 143604 में स्थित डेरा बाबा नानक भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (10) का.आ. 2703(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील रामनगर, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, भारत, पिन कोड- 799001 में स्थित अगरतला भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।
- (11) का.आ. 2704(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तहसील अटारी, जिला अमृतसर, पंजाब, भारत, पिन कोड- 143108 में स्थित अटारी भूमि पत्तन को एकीकृत जांच चौकी के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 9951/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार - वित्त तथा संचार (2023 का संख्यांक 16) (अनुपालन लेखापरीक्षा) ।

[Placed in Library, See No. LT 9952/17/23]

- (2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार ? स्वदेश दर्शन योजना के बारे में, पर्यटन मंत्रालय (2023 का संख्यांक 17) (निष्पादन लेखापरीक्षा) ।

[Placed in Library, See No. LT 9953/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL):

Sir, I rise to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 34 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985:-

(i) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. APEDA/PAD/2017-18/000044 in Gazette of India dated 13th June, 2022.

(ii) The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Recruitment) Amendment Regulations, 2022 published in Notification No. F.No. APEDA/PAD/2017-18/000044 in Gazette of India dated 23rd November, 2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9954/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (2) of Section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

- (i) The Flame-Producing Lighters (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.2986(E) in Gazette of India dated 06th July, 2023.
- (ii) The Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2022 published in Notification No. S.O.5972(E) in Gazette of India dated 21st December, 2022.
- (iii) The Insulated Flask, Bottles and Containers for Domestic Use (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3140(E) in Gazette of India dated 14th July, 2023.
- (iv) The Refrigerating Appliances (Quality Control) Amendment Order, 2022 published in Notification No. S.O.5850(E) in Gazette of India dated 14th December, 2022.
- (v) The Resin treated compressed wood laminated (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3139(E) in Gazette of India dated 14th July, 2023.

(vi) The Safety Glass (Quality Control) Amendment Order, 2023 published in Notification No. S.O.1431(E) in Gazette of India dated 27th March, 2023.

(vii) The Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.2988(E) in Gazette of India dated 6th July, 2023.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item Nos. (ii) and (iv) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9955/17/23]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 की धारा 124 की उप-धारा (3) के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2023 जो 4 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 591(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9956/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898:-

(i) The Indian Post Office (2nd Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.382(E) in Gazette of India dated 23rd May, 2023.

- (ii) The Indian Post Office (3rd Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.462(E) in Gazette of India dated 28th June, 2023.
- (iii) The Indian Post Office (Fourth Amendment) Rules, 2023 published in Notification No. G.S.R.566 (E) in Gazette of India dated 31st July, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 9957/17/23]

- (2) A copy of the Telecom Regulatory Authority of India Repealing Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. RP-4/16/(24)/2021-QoS. in Gazette of India dated 25th July, 2023, under Section 37 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

[Placed in Library, See No. LT 9958/17/23]
